

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 845 वर्ष 2021

डबलू सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, पे०-सिद्देश्वर सिंह उर्फ भोला सिंह, निवासी
ग्राम—करंजा, डाकघर एवं थाना—फेसर, जिला—औरंगाबाद, वर्तमान निवासी ग्राम—कोना,
डाकघर, थाना—रफीगंज, जिला—औरंगाबाद (बिहार)
याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य विरोधी पार्टी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए: श्री ललन कुमार सिंह, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: सुश्री अनुराधा सहाय, ऐपी०पी०।

3 / 18.06.2021 श्री ललन कुमार सिंह, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और सुश्री
अनुराधा सहाय, राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

इस आपराधिक विविध याचिका को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न
स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर वीडियो
कॉन्फ़ैसिंग के माध्यम से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो-वीडियो की किसी भी

तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

दोषों की अनदेखी की जाती है।

निर्देश पर याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।

प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को इसके लिए कोई आपत्ति नहीं मिली है।

अनुमति दी जाती है।

आपराधिक विविध याचिका सं 845 वर्ष 2021 को वापस लिया गया है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया)